कार्यालय नगर परिषद, परिषद, देवरिया।

पत्रांक 878 / प0प्र0का0—2016—17 / देवरिया दिनांकः 23-9-16

दर आमंत्रण हेतु अति—अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के मार्ग प्रकाश अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि / राज्य वित्त / 13 / 14वॉ वित्त से निम्न आपूर्ति / फिटिंग कार्य हेतु फिलिप्स, हैवेल्स, क्राम्पटन ग्रीवज, बजाज, सूर्या ब्रान्ड आदि के मूल निर्माताओं / उनके डीलर्स से मुहर बन्द निविदा / दर दिनांक 07-10-16 को 3.00 बजें तक आमन्त्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी देवरिया कार्यालय के एल.बी.सी. पटल पर रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि / समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप सें 3.30 बजें खोली जायेगी। निविदा / दर तिथि को अवकाश होने की दशा में अगलें कार्य दिवस पर डाली / खोली जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में राष्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. / एन्.एस.सी. / के.बी.पी. आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर / दर के साथ डीलरशीप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र दिनांक 06-10-16 को प्रातः 11.00 बजें से सायं 3.00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया प्रकाश लिपिक पटल एवं कलेक्ट्रेट स्थित एल.बी.सी. पटल सें निर्धारित शुल्क नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते है। उक्त विज्ञापन को कलेक्ट्रेट देवरिया के चालू बेवसाइड www.Deoria.nic.in or www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है। सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया में निहित होगा। अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	एल0ई0डी0 लाइट कम्पलीट फिटिंग — 48 वाट	261000=00	2650=00	15 दिन

नियम व शर्तें:—

1— निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2— निविदादाता को निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ—साफ अंकित करनी होगी।

3— निविदाएँ सिर्फ प्रति अद्द की दरो हेतु मांगी गयी है। आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति / फिटिंग कार्य आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति / फिटिंग कार्य एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

4— डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।

5— अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।

6— निविदा में प्राप्त दरों की बैधता 31 मार्च 2017 तक होगी। इस अवधि में पालिका की आवश्यकतानुसार आपूर्ति / फिटिंग कार्य करने के लिए स्वीकृत निविदादाता बाध्य होगा।

7— यह कि निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति / फिटिंग कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्थदण्ड देय होगा।

8— सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से आपूर्ति / फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो नगर पालिका परिषद को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति / फिटिंग कार्य किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो पालिका को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

9— सफल निविदादाता द्वारा पहले एल.ई.डी. लाइट सामग्री का सैम्पल पथ प्रकाश स्टोर में देना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

10— किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

11— न्यूनतम निविदादाता को आपूर्ति आदेश के अनुसार सम्पूर्ण आपूर्ति / फिटिंग कार्य एकमुश्त करना अनिवार्य होगा।

12— यह कि उक्त कार्यो में प्रयुक्त होने वाली एल.ई.डी. लाइटो / ल्यूमिनेयर आदि की गुणवत्ता उच्च विशिष्टयों, वाटर प्रूफ तथा भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता निर्धारण हेतु आई.एस.आई. माडयूल तथा एल.एम.—79 आई.पी.—67 अथवा 65 व 66 का ही दर स्वीकार होगा तथा उसका प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा / दर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13— यह कि उक्त लाइट कार्य में प्रयुक्त होने वाली एल.ई.डी. लाइटो / ल्यूमिनियर आदि पर कम से कम 5 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारन्टी / वारन्टी देना अनिवार्य होगा।

14— आपूर्ति / फिटिंग कार्य लिये जाने वाले सोलर लाइट / एल.ई.डी. लाइट आदि उपकरणों के लिए व्यापार कर में पंजीकृत व्यापारी / आपूर्तिकर्ता होना अनिवार्य होगा।

15— उत्तर प्रदेश व्यापार / आयकर विभाग से पंजीकृत फर्मो को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,देवरिया।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक / प0प्र0अनु0—16—17 / देवरिया दिनांक :

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार .... को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।

2— अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।

3— एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट, देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

4— श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव / रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर कक्ष, को इस आशय से कि पालिका के बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

5— नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, कलेक्ट्रेट, तहसील, लो0नि0वि0, विकास भवन देवरिया पर चस्पा हेतु।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 880 /प0प्र0अनु0–16–17/देवरिया दिनांक : 23-9-16

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0/08/2016/696/नौ–8–2016–124ज/2014 दिनांक 08 मार्च 2016 मं दिये गए निर्देशो के क्रम में नगर पालिका परिषद देवरिया के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्टस के माध्यम से सोलर लाइट/सोलर हाईमास्ट लाइट तथा पेयजल व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ की जा रही डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत नगर निकायो में मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की पूर्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार तथा नवीन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बेंच मार्क दरो के आधार पर तैयार की गई परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन हेतु निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तो का अनुसरण/अनुपालन करने वाली संस्थाओं में दिनांक 07.10.2016 को समय 3.00 बजें दिन तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएँ निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकती है। अवधि समाप्ति के उपरान्त किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आमंत्रित आवेदन पत्र अपर जिलाधिकारी कार्यालय एल0बी0सी0 पटल पर रखे निविदा वार्क्स में डाले जायेगें, जो उसी दिन अपरान्ह् 3.30 बजें सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित आवेदनकर्ता की उपस्थिति में खोली जायेगी। उक्त विज्ञापन को वेवसाइट WWW.Deoria.Nic.in व WWW.Municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है।

नियम व शर्ते–

1– कार्यदायी संस्थाओं के रूप में यूपी नेडा, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय/सहकारी समितियॉ आदि को नामित किया जा सकता है, जो भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण मंत्रालय (MNRE) के द्वारा सौर ऊर्जा के संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु चैनल पार्टनर के रूप में नामित हो एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में से कम से कम 01 उत्पाद का विनिर्माण कर रही हो, साथ ही साथ सौर ऊर्जा संयंत्रो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप हों एवं उनके द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में प्रमाणित की गई हो।

2– चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था के पास सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्टस की स्थापना हेतु पर्याप्त अनुभवी तकनीकी विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है, जो सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्टस की स्थापना हेतु पर्याप्त तकनीकी अनुभव रखते हो।

3– चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था का विगत 03 वर्षो में सौर ऊर्जा संयंत्रो के अधिष्ठान में प्रतिवर्ष रू0 2.5 करोड़ अथवा विगत 3 वर्षो में कम से कम कुल रू0 5.00 करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए।

4– चयनित कार्यदायी संस्था को सौर ऊर्जा पॉवर प्लान्टस की स्थापना किये जाने के उपरान्त नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित 05 वर्ष व उससे अधिक अवधि के लिए बिना किसी अतिरिक्त सेण्टेज चार्ज के सौर ऊर्जा संयंत्रो पर कम्प्रहेन्सिव वारंटी उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार हो।

5– ऐसी कार्यदायी संस्थाएं जो सौर ऊर्जा संयंत्रो के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य तथा 05 वर्ष से अधिक कम्प्रहेन्सिव वारंटी देने के लिए तैयार हो, उसे चयनित किये जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के चयन में जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं के चयन में अधिक कम्प्रहेन्सिव वारंटी अवधि का होना भी एक मुख्य अवयव होगा।

6– चयनित की जाने वाली कार्यदायी संस्था को परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का 15 प्रतिशत एफ डी/बैंक गारन्टी के रूप में जमानत धनराशि निकाय में जमा करनी होगी तथा कम्प्रहेन्सिव वारंटी के अनुसार प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर संतोषजनक रखरखाव किये जाने के पश्चात कम्प्रहेन्सिव वारंटी में दिये गये समय के अनुसार उसके अनुपात में निकाय द्वारा संस्था को वापस करना होगा। उदाहरणार्थ यदि संस्था द्वारा की गयी कम्प्रहेन्सिव वारंटी को अवधि 05 वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष के पश्चात संतोषजनक रखरखाव होने की स्थिति में 03 प्रतिशत एफ डी/बैंक

गारंटी निकाय द्वारा संस्था को वापस कर दी जायेगी। संस्था द्वारा कम्प्रहेन्सिव वारंटी की अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर जमानत की धनराशि जब्त की जा सकेगी।

7— नगर विकास विभाग में 30 एच.पी. के 03 नग 25 एच.पी. के 02 नग सोलर पम्प के अधिष्ठापन का अनुभव।

8— नगर पालिकाओं में 200 नग सोलर हाई मास्ट लाइटो के अधिष्ठापन का अनुभव।

9— नगर पालिकाओ में 800 नग सोलर लाइट सिंगल आर्म के अधिष्ठापन का अनुभव।

10— व्यापार कर, आयकर, की नवीनतम पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11— विगत तीन वर्षो का आयकर एवं व्यापार कर के असेस्मेन्ट आर्डर की सी–ए द्वारा सर्टिफाइड कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12— संस्था/फर्म/सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम की विगत तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा आडिटेट बैलेन्स सीट एवं प्राफीट एवं लास , तकनीकी विशेषज्ञओं की सूची, उनके प्रमाण पत्र सहित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

13— अन्य नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धी अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

पत्रांक /प0प्र0अनु0—2016—17/देवरिया दिनांक :

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी, देवरिया।

2— विज्ञापन व्यवस्थाप..को इस आशय से प्रेषित कि सरकारी दर पर कम से कम स्थान में प्रकाशित कर, विल भुगतान हेतु दो प्रतियों प्रस्तुत करने हेतु।

3— अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।

4— एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापन एन.आई.सी. के बेवसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।

5— जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कम्प्यूटर सहायक, को इस आशय से कि पालिका के बेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।

6— नोटिस बोर्ड नगर पालिका, तहसील, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, लो0नि0वि0 देवरिया पर चस्पा हेतु।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष